न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 34 / 2020

शीर्षक

कैलाश चन्द पुत्र स्व. बिरदू जाति यादव नि. कल्याणपुरा तन उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामेश्वर
2. घोलूराम
3. महेश चन्द

} पि० स्व. बिरदू } समस्त जाति यादव नि. कल्याणपुरा तन उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर

4. नानूडी पत्नी स्व. बिरदू
5. गीता देवी पुत्री स्व. बिरदू पत्नी मोहन जाति यादव हाल नि. ढाणी नवा की तन खोरी तह. शाहपुरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील—शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
7. उपपंजीयक, उपपंजियन कार्यालय शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/4/21

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख.नं. 4817 / 0.44, 4820 / 0.02, 4821 / 1.0, 4826 / 0.19, 4827 / 0.48, 4828 / 0.62, 4928 / 4809 / 0.70, है० कुल किता 7 रकबा 3.45 है० भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा प०ह० उदावाला तह० शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 व 5 के पिता व प्रतिवादी सं. 4 के पति बिरदू पुत्र हरदेव के नाम राजस्व रिकार्ड है उक्त खातेदार बिरदू पुत्र हरदेव फौत हो चुका है जिसके वादी एवं प्रतिवादी स. 1 लगा. 5 वारिसान है, जिन्होने मृतक बिरदू की उक्त खातेदारी भूमि व अन्य चल एवं अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है। उक्त विवादित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 सह—खातेदार है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/6 – 1/6 हिस्सा है और वादी व प्रतिवादी स. 1 लगा. 5 उपरोक्त हिस्से अनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजीयात व अन्य सम्पति का वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से रिश्तेदारो की उपस्थिति में दिनांक 27.09.1999 को बाहमी बंटवारा किया था जिसके संबंध में एक लिखावट ी दिनांक 27.09.1999 को चिरंजीलाल द्वारा लिखी गई थी उक्त लिखावट को पढ सुन व समझकर वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हस्ताक्षर किये है तथा गवाह में जगदीश, गणपत ने हस्ताक्षर किय है। उक्त लिखावट द्वारा वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया गया है—

	खसरा नम्बर	रकबा
वादी	4928 / 4809	0.70 है0
प्रतिवादी सं. 1 व 4	4821	1.00 है0
प्रतिवादी सं. 2 व 5	4828, 4817	0.62 है0, 0.44 है0 कुल 1.06 है0
प्रतिवादी सं. 3	4827, 4826	0.48 है0, 0.19 है0 कुल 0.67 है0

वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त बाहमी बंटवारा में प्राप्त अपनी आराजी पर दिनांक 27.09.1999 से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है।

वादी ने बाहमी बंटवारे से प्राप्त आराजी खसरा नं. 4928/4809 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा में काफी पैसा खर्च कर समतल कर उपजाऊ बनाया है तथा 60 एयर जमीन की किस्म नियमानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित करवा कर उसमें स्वयं के खर्च से राधा गोवन्दि के नाम से ईंट भट्टा लगाया है तथा बोरिंग करवाकर उसमे विद्युत कनेक्शन पिताजी के नाम से लगवाया है, वादी उक्त ईंट भट्टे को स्वयं चलाने मे असमर्थ होने पर उसने उक्त ईंट भट्टे को समय—समय पर किराये में दिया है प्रतिवादी महेश ने भी बंटवारे में प्राप्त भूमि को समय—समय पर किराये मे दिया है।

प्रतिवादीगण वादी से घरेलू बातो को लेकर कुछ अर्से से मनमुटाव रखने लगा है तथा उन्होने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना लिया है और वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने पर आमादा है। वादी ने उक्त विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा व लिखावट के अनुसार बंटवारा करवाने के कहा तो प्रतिवादीगण ने उपरोक्त अनुसार बंटवारा कराने से दिनांक 31.05.2020 को मना कर दिया तथा उसमें बने बोरिंग व विद्युत कनेक्शन का वादी को उपयोग उपभोग नही करने देगे तथा आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारे के अनुसार बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा का विरासत नामान्तकरण खुलवाकर आराजी के विशिष्ट भू—भाग को बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराकर वादी को भूमि खसरा नं. 4928/4809 व उसमें बने ईंट भट्टे, बोरिंग आदि से जबरन बेदखल करके रहेगे।

अगर प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गया और उन्होने विवादित आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारे का बिना बंटवारा करवाये ही किसी विशिष्ट भू—भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियों को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादी को आ.ख.नं. 4928/4809 व उसमें बने ईंट भट्टे, बोरिंग, विद्युत कनेक्शन आदि से जबरन बेदखल कर देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नही की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमे बाजी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

बढ़ेगी इस कारण वादी को यह वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा कराने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ ।

अन्त मे निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कर वादी/प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व मे हुए कब्जे काश्त के अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादी के बंटवारे मे आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधाकारित ना करे।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 15.03.2021 को वकील उभयपक्षों के द्वारा प्रकरण मे राजीनामा पेश किया गया और निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे।
पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया अतः राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि आ.ख.नं. 4817/0.44, 4820/0.02, 4821/1.0, 4826/0.19, 4827/0.48, 4828/0.62, 4928/4809/0.70, है0 कुल किता 7 रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा प0स0 उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात का खातेदारान के मध्य राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	खसरा मय कुल रकबा	बंटवारा मे प्राप्त रकबा मय मकानात कृषिजन्य	पक्षकार का नाम जिनके हिस्स मे बंटवारे मे भूमि प्राप्त हुई है।
1	4928/4809/0.70 है0	(1) 0.60 है0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ उत्तरी भाग (2) 0.01 है0 बजंड (3) अलमशहूर पटेलावाली भूमि मे निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2	वादी कैलाश चन्द
2	4821/1.00 है0 4820/0.02 है0	(1) 1.00 है0 बारानी । (2) 0.02 है0 बारानी । का 1/2 भाग मय बोरिंग (3) ख.नं. 4823 मे अलमशहूर कोठी उपला बीड मे निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2 भाग	प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वार प्रसाद
3	4817/0.44 है0 4828/0.62 है0 4820/0.02 है0	(1) 0.44 है0 बारानी । (2) 0.60 बारानी । उत्तरी पूर्वी भाग (3) 0.02 बारानी । बारानी का 1/2 भाग मय बोरिंग (4) ख.नं. 4823 मे अलमशहूर कोठी उपला बीड मे निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2 भाग	प्रतिवादी स. 2 घोलाराम
4	4828/0.62 है0 4826/0.19 है0 4827/0.48 है0 4928/4809/0.70 है0	(1) 0.02 बारानी । दक्षिणी पश्चिमी भाग ख.नं. 4826, 4827 से लगता हुआ (2) 0.19 बारानी । (3) 0.48 बारानी । (4) 0.09 बारानी। दक्षभाग 4826, 4827 से लगता हुआ (5) अलमशहूर पटेलावाली भूमि मे निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2	प्रतिवादी सं. 3 महेशचन्द

राजीनाम व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त मे किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करे । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 34/2020

शीर्षक

कैलाश चन्द पुत्र स्व. बिरदू जाति यादव नि. कल्याणपुरा तन उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामेश्वर } पिः स्व. बिरदू } समस्त जाति यादव नि. कल्याणपुरा तन उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर
2. धोलूराम
3. महेश चन्द
4. नाथूड़ी पत्नी स्व. बिरदू
5. सीता देवी पुत्री स्व. बिरदू पत्नी मोहन जाति यादव हाल नि. ढाणी नवा की तन खोरी तह. शाहपुरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
7. उपपंजीयक, उपपंजियन कार्यालय शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि आ.ख.नं. 4817/0.44, 4820/0.02, 4821/1.0, 4826/0.19, 4827/0.48, 4828/0.62, 4928/4809/0.70, है० कुल किता 7 रकबा 3.45 है० वाके ग्राम कल्याणपुरा प०ह० उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का खातेदारान के मध्य राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	खसरा मय कुल रकबा	बंटवारा में प्राप्त रकबा मय मकानात कृषिजन्य	पक्षकार का नाम जिनके हिस्से में बंटवारे में भूमि प्राप्त हुई है।
1	4928/4809/0.70 है०	(1) 0.60 है० औद्योगिक प्रयोजनार्थ उत्तरी भाग (2) 0.01 है० बजड (3) अलमशहूर पटेलावाली भूमि में निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2	वादी कैलाश चन्द
2	4821/1.00 है० 4820/0.02 है०	(1) 1.00 है० बारानी । (2) 0.02 है० बारानी । का 1/2 भाग मय बोरिंग (3) ख.नं. 4823 में अलमशहूर कोठी उपला बीड में निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2 भाग	प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वार प्रसाद
3	4817/0.44 है० 4828/0.62 है० 4820/0.02 है०	(1) 0.44 है० बारानी । (2) 0.60 बारानी । उत्तरी पूर्वी भाग (3) 0.02 बारानी । बारानी का 1/2 भाग मय बोरिंग (4) ख.नं. 4823 में अलमशहूर कोठी उपला बीड में निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2 भाग	प्रतिवादी सं. 2 धोलाराम
4	4828/0.62 है० 4826/0.19 है० 4827/0.48 है० 4928/4809/0.70 है०	(1) 0.02 बारानी । दक्षिणी पश्चिमी भाग ख.नं. 4826, 4827 से लगता हुआ (2) 0.19 बारानी । (3) 0.48 बारानी । (4) 0.09 बारानी। द०भाग 4826, 4827 से लगता हुआ (5) अलमशहूर पटेलावाली भूमि में निर्मित पुख्ता मकान का हिस्सा 1/2	प्रतिवादी सं. 3 महेशचन्द

राजीनामा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त मे किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें ।

निर्णय आज तारीख 15/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner